

# फर्ट अहकाम

(नियम 15)

अदालत उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करौली)

नत्पन बनाम अंगतू 64/सन 2005  
 म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निवेदाज्ञा नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

ख हुकम

11/12/08

नत्पन s/o कज्जी जाति माली निवासी टोडाभीम  
 तहसील टोडाभीम साधन

बनाम

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 अंगतू s/o केशनलाल        | } जाति माली<br>निवासीमान<br>टोडाभीम |
| 2 शिवजी s/o केशनलाल        |                                     |
| 3 हल्ली (हल्ली) s/o हरचन्द |                                     |
| 4 तहसीलदार टोडाभीम         |                                     |
| 5 उप पंजीपक टोडाभीम        |                                     |

प्रार्थनापत्र अस्थाई निवेदाज्ञा

साधन की ओर से श्री रामभरोसी असा एडवोकेट ने प्रार्थनापत्र अस्थाई निवेदाज्ञा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथपत्र, राजस्व रिपोर्ट का अपलोडन किया गया। वकील साधन को एक पक्षीय सुना गया। प्रथम हुआ प्रकरण साधन के पक्ष में होगा प्रतीत होता है।  
 उक्त: गैरसाधन को अस्थाई निवेदाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम टोडाभीम स्थित भूमि खसरा नम्बर 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, कुल किला 6 रुब्रा 1.74 हैक्टे. के रिपोर्ट एवं मोंके की यथास्थिति आज्ञा जारी तारीख पेशीतक यथावत बनीये रहे। तथा भूमि का रहन-व्यय नहीं करे। गैरसाधन को जरिये नोटिस तलब किया जाये। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्र किया जाये। पत्रावली दिनांक 8-1-2010 को पेश हो।

उपस्थित अधिकारी  
 टोडाभीम, करौली (राज.)

6274-28  
 11/12/08

8/10

वकील प्रार्थी उपस्थित। 5.2.2010 मुकाम में उपस्थित है।  
 गताशुभा (दिनांक 26.2.10) को पेश हो।

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

21/12/16 वकूलाय उपन/ जबाब प्रपत्र न. 9. पेशा क्रि. 1  
 नकल दिनांक 20/11/16 को पेश है।

20/11/16 वकूलाय उपस्थित | बहस सुनी गई | बहस  
 पर यन्न क्रिया पत्रावली का मसन क्रिया प्रथी  
 वकील के प्रार्थना पत्र से वर्णित तथ्यों को दोहराया  
 एवं अप्रार्थना के तादावा फंसला रिकार्ड  
 एवं मॉफा की प्रथा स्थिति को प रखने हेतु  
 पाबंद प्रमाणों को जबकि वकील अप्रार्थी  
 ने कपन क्रिया कि लखोतदा को पाबंद  
 नहीं किया जा सकता है पत्रावली का  
 प्रथी क्रिया | सायल खोतदा का मत  
 की दावा के द्वारा का पेश हुआ है। दावा  
 का फंसला होने तक रिकार्ड व मॉफा की प्रथा  
 स्थिति को प रखना उचित प्रतीत होता है।  
 इसलिए दिनांक 11.12.2009 को जारी की गई  
 अध्यादेश निषेधाज्ञा को तादावा फंसला कर्फर्न  
 क्रिया जाता है तथा प्रतिवादी। गैरसायलान  
 को बाबंद क्रिया जाता है कि सायल के  
 रिकार्ड में कठोर का मत में मजागरत  
 मदावलीत नहीं करें। पत्रावली फंसला  
 शुभ होकर नगर से कम रिकार्ड दावा पत्र  
 के साथ सायल संलग्न रहे।

उप जिला कलेक्टर  
 टोडाभीम (कौली)